न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 136 / 2023
जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 323

प्रार्थीगण

1. पारसमल पुत्र स्व. श्री पन्नाराम के कायम मुकाम :–
   1 / 1. श्रीमती छोटीदेवी पत्नी स्व. पारसमल
   1 / 2. सुभाष पुत्र स्व. पारसमल
   1 / 3. विनोद पुत्र स्व. पारसमल
   1 / 4. आरती पुत्री स्व. पारसमल
   1 / 5. मोनिका पुत्री स्व. पारसमल
   जातियान राव निवासीगण उम्मेदनगर पंचायत समिति, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर। कायम मुकाम 1 / 4 व 1 / 5 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती छोटीदेवी पत्नी स्व. पारसमल।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भीखाराम पुत्र झूमरलाल, जाति सुथार, निवासी उम्मेदनगर तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत उम्मेदनगर तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 29 मिसल संख्या 34 / 2010–11 दिनांक 23.12.2010 जो ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया (प्रार्थीगण)।
2. अधिवक्ता श्री छोटूसिंह सोढा (अप्रार्थी संख्या 01)

आदेश दिनांक :–27.09.2024

प्रार्थीगण ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 29 मिसल संख्या 34 / 2010–11 दिनांक 23.12.2010 तत्कालीन ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। पंचायत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटि[illegible] किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.10.09 10:33:30 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम पंचायत उम्मेदनगर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री छोटूसिंह सोढा ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत उम्मेदनगर से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 24.09.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 27.09.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

पंचायत निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पीढ़ियों के समय से आये हुए आवासीय भूखण्ड के उत्तर में अप्रार्थी संख्या 2 के दादा व दादा के भाई बालूराम, चुनीलाल पुत्र आसूराम का भूखण्ड आया हुआ है। उपरोक्त भूखण्ड का तत्कालीन ग्राम पंचायत भवाद से मिसल संख्या 44 पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.07.1966 को बालूराम पुत्र रामूजी कौम सुथार कुलरिया के नाम से जारी किया गया, जिसमें आधा हिस्सा बालूराम का व आधा हिस्सा चुनीलाल का था, जिसमें से चुनीलाल ने पट्टा संख्या 44 का अपना आधा हिस्सा रामूराम पुत्र अलफूराम सोनार को दिनांक 04.06.1975 को बेचान कर दिया। उपरोक्त भूखण्ड का शेष आधा हिस्सा प्रार्थीगण ने दिनांक 25.10.1983 को बालूराम व चुनीलाल से 1000 रूपये में खरीदना तय कर हजार रूपये देकर पट्टा धारक बालूराम व चूनीलाल से खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा स्व0 बालूराम व उसके भाई चुनीलाल ने दिनांक 25.10.1983 को बेचाननामा पांच रूपये के स्टाम्प पर लिखकर दे दिया तब से प्रार्थीगण उपरोक्त भूखण्ड पर काबिज है तथा ग्राम पंचायत उम्मेदनगर सर्जित होने पर ग्राम पंचायत ने विक्रय विलेख पट्टा नम्बर 45 मिसल संख्या 99/45 दिनांक 26.11.1999 को प्रार्थीगण के नाम से जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 01 बालूराम का पोता है, जिसने अपने दादा बालूराम के द्वारा बेचान किये गये भूखण्ड का तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उम्मेदनगर से मिलकर मिसल संख्या 34/2010–11 पट्टा क्रमांक 29 दिनांक 23.12.2010 को अपने नाम से बनवा लिया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने पंचायत निगरानी पेश की है।

प्रार्थी ने बहस में बतलाया कि निगरानीधीन पट्टा विधि, न्याय व अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आलौच्य पट्टे में वर्णित भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या 1 के दादा स्व0 बालूराम ने मिसल संख्या 44 पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.07.1966 को तत्कालीन ग्राम पंचायत भवाद द्वारा प्राप्त किया तथा इसके पष्चात् स्व0 बालूराम व उसके भाई चुनीलाल ने आधा हिस्सा दिनांक 06.07.1975 रामुराम पुत्र अल्फूराम सुनार को तथा शेष आधा हिस्सा दिनांक 25.10. 1983 को प्रार्थी को बेचान कर दिया। [illegible] बेचान करने के पश्चात् दुबारा पट्टा अप्रार्थी के नाम जारी नहीं किया जा सकता। [illegible] प्रत्यर्थी ने आलौच्य पट्टा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.10.09 10:33:30 IST
Reason: SelfAttested

करने से पूर्व खुद के अभिलेख की कोई जांच नहीं की तथा बिना जांच के अवैध पट्टा जारी किया है जो स्वतः ही शून्य है तथा निरस्त किये जाने के योग्य है।

प्रार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि निगरानी की तमाम कार्यवाही सरपंच ने अपने कार्यालय में बैठकर की मौके की कोई जांच नहीं की तथा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस नहीं दिया गया। प्रार्थी द्वारा हासिल करने भूमि विक्रय विलेख का आवेदन–पत्र ग्राम पंचायत में पेष किया गया, लेकिन उसके साथ नक्षा फीस के लिये दो रुपये की रसीद नहीं है तथा आवेदन प्रार्थना–पत्र के साथ नक्षा भी संलग्न नहीं है। ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल में आपत्तियों का नोटिस भी संलग्न नहीं है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व नियम 1996 की पालना नहीं की है। बहस के अंत में निगरानीधीन पट्टा विलेख निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री छोटूसिंह सोढा ने लिखित जवाब पेष कर बतलाया कि निगरानी के पद संख्या–1 के संबंध में लेख है कि इस पैरा में प्रार्थीगण उम्मेदनगर के निवासी होने के तथ्य सही है, लेकिन पैरा में आगे ग्राम उम्मेदनगर के जिस आवासी भूखण्ड का उल्लेख किया गया है उस भूखण्ड के उत्तर में उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या–1 का आवासी पट्टाषुदा भूखण्ड आया हुआ है जिसमें अप्रार्थी संख्या–1 निर्बाध रूप से बहैसियत मालिक/पट्टाधारी काबिज चला आ रहा है।

यह कि निगरानी का पद संख्या–2 सरासर गलत व बनावटी होने से अस्वीकार है। इस पद में उल्लेखित कोई पट्टा 1966 में जारी नहीं हुआ, न ही अप्रार्थी संख्या–1 के दादा व दादा भाई के नाम से जारी नहीं किया गया, इस पद में आगे कथित भूखण्ड के पड़ौस अंकित किये गये हैं, वे भी सरासर गलत व बनावटी है तदनुसार इस पद में आगे तथाकथित बेचान बालूराम जी द्वारा किये जाने के कथन स्वतः ही गलत सिद्ध हो जाते है, जबकि ऐसा तथाकथित पट्टा जारी नहीं हुआ है। वस्तुतः प्रार्थीगण के पट्टासुदा प्लॉट के उत्तरी दिषा में उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या–1 का पट्टाषुदा प्लॉट आया हुआ है, जिसका आबादी भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या 29 मिसल संख्या–34/2010–11 बनाप 143 वर्गगज का तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा दिनांक 23.12.2010 को अप्रार्थी संख्या–1 भीखाराम सुथार पुत्र श्री झूमरलाल सुथार निवासी उम्मेदनगर के नाम से जारी किया गया। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या–1 के उक्त पट्टाषुदा भूखण्ड को हड़पना चाहते हैं,

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.10.09 10:33:30 IST
Reason: SelfAttested

इसी कारण से इस पद में सन् 1966 के तथाकथित पट्टा का उल्लेख किया गया है इसलिए प्रार्थी के इस पद में उल्लेखित कथन गलत व बनावटी है।

निगरानी का पद संख्या 03 अस्वीकार है क्योंकि पट्टा संख्या 45 मिसल संख्या 99 दिनांक 26.11.1999 भी फर्जी, बनावटी है। यदि ऐसा पट्टा 1999 में जारी कर दिया जाता तो उसी में बताये भू–भाग का अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था अप्रार्थी संख्या 01 के हक में पट्टा दिनांक 22.12.2010 को विधिक प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार जारी करना ही इस बात की ताईद करता है कि पट्टा संख्या 45 दिनांक 26.11.1999 सरासर फर्जी व बनावटी है। जिसका मुकदमा पुलिस थाना मथानिया में दर्ज करवाया गया जिसमें प्रार्थी जेल भी गया ता बाद अनुसंधान प्रार्थी के विरूद्ध आरोप–पत्र संबंधित न्यायालय में पेष किया गया जिसका मूल फौजदारी प्रकरण महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 04 जोधपुर महानगर में विचाराधीन है। पट्टा संख्या 45 की जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से इसकी षिकायत ग्राम पंचायत में की गई। जिस पर विकास अधिकारी तिंवरी द्वारा जांच की जाकर दिनांक 21.06.2017 को जांच रिपार्ट पेष की गई। जिसमें पट्टा संख्या 45 मिसल संख्या 99 / 45 दिनांक 26.11.1999 फर्जी होना बताया।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जारी पट्टा के संबंध में पड़ौसियों के बयान लिये गये, पट्टा निरीक्षण कमेटी के सदस्यों के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसमें भी अप्रार्थी का पुष्तैनी रहवासीय आवास लगभग 40 वर्षो पूर्व का होना पाये जाने पर पट्टा जारी किया गया। निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट के बाद अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्तियां आमंत्रित की गई, नोटिस चस्पा किया गया तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति न आने के बाद नियमानुसार पंचायत बैठक कार्यवाही में मिसल ली गयी और प्रस्ताव पारित कर नियमानुसार शुल्क वसूल कर अप्रार्थी संख्या 01 के हक में पट्टा जारी किया गया। प्रार्थीगण को निगरानीधीन पट्टे की शूरू से ही बखूबी जानकारी रही है लेकिन उनके द्वारा विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद निगरानी पेष की है। प्रार्थी ने 08 साल की असाधारण देरी से निगरानी पेष की है जिसका कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया गया है और न ही उक्त असाधारण देरी को क्षम्य करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रार्थना–पत्र पेष किया है। देरी क्षम्य प्रार्थना–पत्र के अभाव में प्रार्थी की निगरानी म्याद बाहर होने के आधार पर ही खारिज योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.10.09 10:33:30 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में स्पष्ट किया गया कि '' राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी''। अतः पट्टे की वैधानिकता देखना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश किये गये जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण को निगरानीधीन पट्टे की जानकारी शुरूआत से थी। अतः प्रार्थी की निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते है।

प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा जारी पट्टा संख्या 29 मिसल संख्या 34 / 2010–11 दिनांक 23.12.2010 को चुनौती दी है। ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा विलेख हासिल करने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा मिसल संधारित की गई। उसके बाद आबादी भूमि के निरीक्षण हेतु तीन सदस्यों की टीम गठित कर भूमि की निरीक्षण रिपोर्ट बनाई गई। मिसल के साथ पंचायत नक्शा फॉर्म भी सलंग्न है जिस पर पट्टा विलेख का नक्शा बना हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.10.2010 को प्रपत्र संख्या 22 के तहत आपत्तियां आमंत्रित की गई जिसके पुश्त पर दो मौतबिरान के हस्ताक्षर है। उसके बाद भीखाराम द्वारा ग्राम पंचायत में शपथ–पत्र भी पेश किया गया तथा भीखाराम व दो अन्य व्यक्तियों के बयान भी लिये गये। ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर का भी अवलोकन किया गया जिसमें भी समस्त कार्यवाही विधिसम्मत की गई तथा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.10.09 10:33:30 IST
Reason: SelfAttested

सारहीन होने से निरस्त की जाती है। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 27.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.10.09 10:33:30 IST
Reason: SelfAttested